| | |
|---|---|
| कक्षा 6 से 7 तक | रु० 700 प्रति वर्ष |
| कक्षा 8 तक | रु० 1000 प्रति वर्ष |

उपरोक्त वर्णित समस्त धनराशि लाभार्थी बालिका एवं एक नामित अधिकारी के संयुक्त खाते में जमा की जाएगी। लोक भविष्य निधि खाता या राष्ट्रीय बचत पत्र को अधिक ब्याज दर देने के कारण वरीयता दी जाएगी।

18 वर्ष की उम्र के पूर्व धनराशि निकालने पर प्रतिबंध है, इस आयु के बाद ग्राम पंचायत/नगर निकाय के इस आशय के प्रमाण-पत्र, कि वह बालिका अविवाहित है, निर्गत करने के बाद उक्त धनराशि बालिका द्वारा निकाली जा सकती है। यदि उसका विवाह 18 वर्ष के पूर्व हो जाता है तो वह छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित हो जाएगी। यदि 10 वर्ष की आयु के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है तो सम्पूर्ण धन को अन्य पात्र लाभार्थी को लाभान्वित करने के लिए ले लिया जाएगा।

इस जमा धन के कुछ भाग/अंश को भाग्यश्री बालिका कल्याण बीमा योजना के तहत उस बालिका के नाम से ही निवेश किया जा सकता है तथा इस प्रकार की छात्रवृत्ति की धनराशि को पुस्तकें एवं स्कूल परिधान हेतु प्रयोग करने की अनुमति दी जा सकती है।

**क्रियान्वयन :** इस योजना के क्रियान्वयन के लिए आई०सी०डी०एस० तथा जहाँ यह योजना संचालित नहीं है, वहाँ जिला ग्राम्य विकास अभिकरण तथा जिला शहरी विकास अभिकरण जिम्मेदार होंगे।

# वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान, ( नेडा ) की योजनाएँ

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, भारत सरकार तथा उ०प्र० सरकार द्वारा चलाई जा रही वैकल्पिक ऊर्जा की योजनाएं एवं उन पर दी जाने वाली अनुदान का विवरण :-

**1. घरेलू सोलर लाइट :** दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ विद्युत सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ घरेलू रोशनी हेतु सौर ऊर्जा बनाने वाला एक पैनेल, एक 12, वोल्ट की बैटरी, दो ट्यूब लाइट एवं पोल आदि जिसकी कुल कीमत रु० 10,900/-है रु० 5,175/-अनुदान के उपरान्त रु० 5,725/- में दी जा रही है। इससे दो ट्यूब जलाई जाती है तथा टी०वी० भी चलाया जा सकता है। बैटरी पाँच वर्ष तक खराब नहीं होती है। पूरे संयंत्र की एक वर्ष की वारंटी होती है।

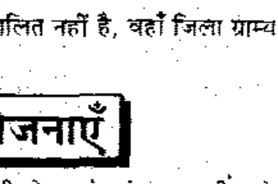

**2. सोलर लालटेन :** सौर ऊर्जा से चलित 12 वोल्ट की बैटरी, एक ऊर्जा पैनेल एक ट्यूब लाइट, लालटेन, तार आदि जिसकी कुल लागत रु० 3,250/- है, तथा जिस पर रु० 1,500/- का अनुदान उपलब्ध है। अनुदान उपरान्त लाभार्थी को मात्र 1750/- में दी जा रही है। बैट्री दो वर्ष तक खराब नहीं होती है। इसे रात्रि में कहीं भी ले जाया जा सकता है। इस संयंत्र की भी एक वर्ष की वारंटी है।

**3. सोलर कुकर :** बिना ईधन, बिना बिजली के भोजन पकाने हेतु सौर ऊर्जा से चलने वला सोलर कुकर जिसकी कुल कीमत रु० 1600/- है, इसमें रोटी के अतिरिक्त सभी पकवान बनाये जा सकते हैं। अण्डा, आलू, शकरकन्द तथा बैंगन आदि बिना पानी में डाले भूने जाते हैं। इसमें भोजन बनाने में। घण्टे से लेकर 2 घण्टे का समय लगता है। इसमें बनाया गया खाना कुकर के अन्दर चार घण्टे तक गरम बना रहता है। विद्युत व्यवस्था सहित सोलर कुकर की कुल कीमत रु० 2500/- है।

**4. सोलर वाटर हीटर :** बिना ईधन, बिजली के पानी गरम करने हेतु 100, ली० क्षमता के सोलर वाटर हीटर का मूल्य रु० 20,000-है, इसमें भी अनुदान उपलब्ध नहीं है। इस संयंत्र में रात भर पानी गरम बना रहता हे। सुबह 40 डिग्री पर 100, ली० गरम पानी मिलता है।

**5. सोलर लालटेन चार्जिंग स्टेशन :** जहाँ पर कम से कम चालीस व्यक्ति लालटेन लेने के इच्छुक होते हैं वहाँ पर सामुदायिक रूप से एक स्थान पर सोलर पैनेल स्थापित कर लालटेनों को चार्ज करने हेतु स्टेशन बनाया जाता है। ग्राम पंचायत को चार्जिंग स्टेशन बनाने हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना होता है तथा प्रति लाभार्थी रु० 1,000/-जमा होता है। सभी लाभार्थी अपनी-अपनी लालटेन चार्जिंग स्टेशन पर लाकर रखते हैं तथा चार्ज होने के उपरान्त शाम को वापस ले जाते हैं।

**6. सोलर पावर प्लांट :** इस योजना से सम्पूर्ण ग्राम में घरेलू लाइट स्ट्रीट लाइट एवं टेलीविजन, पंखे आदि चलाने हेतु एक ही स्थान पर सौर ऊर्जा के पैनेल स्थापित कर चार्जिंग स्टेशन बनाकर किया जाता है। जिसके लिए कम से कम 2000 वर्ग फुट निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना होता है तथा रु० 1,000/- प्रति लाभार्थी धरोहर धनराशि जमा करना होता है। प्लांट को चलाने हेतु ग्राम की एक ऊर्जा समिति बनाई जाती है। चौकीदार का मानदेय तथा स्ट्रीट लाइटों व संयंत्रों की मरम्मत हेतु प्रति लाभार्थी प्रतिमाह रु० 25/- समिति के पास जमा करना होता है।